

Letter No.-NGT-140/81-7-2023

From,

Ghanshyam Mishra,
Special Secretary,
Govt. of U.P.

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi
E-mail: judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Environment, Forest & Climate Change Section-7 Lucknow : Dated : 13 April, 2023


Sub: Action Taken Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 06.02.2023 in OA No. 248/2022 in re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal".

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the Action Taken Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal Order dated 06.02.2023 in OA No. 248/2022 in re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" of the State of Uttar Pradesh is hereby submitted after approval of Chief Secretary, Government of UP. It is requested that the Action Taken Report may be presented before the Bench for consideration.

Enclosure : Action Taken Report with annexures.

Yours Sincerely,


(Ghanshyam Mishra)
Special Secretary.

Copy to:

1. Chief Conservator of Forests, Wildlife, Western Region, Kanpur for information and necessary action.
2. Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, U.P., Agra for information and necessary action.
3. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadaun, Panel Advocate, Hon'ble NGT, New Delhi for necessary action.


(Ghanshyam Mishra)
Special Secretary.

DETAILS OF JOINT ACTION TAKEN BY FOREST DEPARTMENT, MINING DEPARTMENT, POLICE DEPARTMENT AND REVENUE DEPARTMENT OF UTTAR PRADESH TO PREVENT ILLEGAL MINING AND TRANSPORTATION OF SAND OF CHAMBAL IN NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY, U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 06-02-2023 PASSED INOA NO.-248 /2022 IN THE MATTER IN RE-NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU DATED 27.03.2022 TITLED "DIGGING UP THE CHAMBAL" PENDING CONSIDERATION IN HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI:-

ACTION TAKEN BY FOREST DEPARTMENT-

NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY PROJECT, AGRA

A- BRIEF DESCRIPTION OF THE SANCTUARY-

1. National Chambal Sanctuary is spread over 3 States namely Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
2. In the year 1979 the National Chambal Sanctuary in Uttar Pradesh was notified as a Wildlife Sanctuary under Section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972, of which area is 635 sq.km.. Moreover it is inclusive of Chambal river with its bank having sand and ravinous forest area.

Edm

3. The length of Chambal river within the territory of Uttar Pradesh is about 165 km.
4. Madhya Pradesh situated is on one side and Uttar Pradesh on the other side within the span of about 100 km. There is Uttar Pradesh on both sides within remaining area measuring about 65 km.
5. There are 02 ranges Bah range in district Agra and Etawah range in district Etawah for the control of National Chambal Wildlife Sanctuary.

B- STATUS OF MINING WITHIN THE JURISDICTION OF UTTAR PRADESH

- 1.No regular, organized and mechanised illegal mining of sand of Chambal takes place anywhere in Chambal river within the jurisdiction of National Chambal Sanctuary,U.P.
2. Sand of Chambal excavated from Madhya Pradesh and Rajasthan is also not transported through the boundary/jurisdiction of Chambal Sanctuary, Uttar Pradesh.
3. The main site of the case is Rajghat, Morena at Agra-Gwalior road, next to Dhaulpur, near Chambal bridge on the border of Rajasthan-M.P., of


ECM

which aerial distance is about 40 kms from the border of Chambal Sanctuary, U.P.

4. The sand excavated in Madhya Pradesh and Rajasthan is transported for long distance in Dhaulpur district and thereafter entry is made mainly through Saiyyan border of Agra in Uttar Pradesh at Agra-Gwalior road which aerial distance is about 40 kms from the border of Chambal Sanctuary U.P.
5. Action to stop transportation of sand from Madhya Pradesh and Rajasthan to Uttar Pradesh is done jointly by Mining Department, Police Department and Revenue Department.

C. ACTION BEING TAKEN FOR PREVENTION OF SAND MINING AND HUNTING OF FISH ETC. IN NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY, U.P.:-

1. Effective informer system has been developed.
2. Sanctuary area has been divided into 33 beats for effective patrolling. Regular patrolling is done by patrolling team armed with firearms in accordance with roster.



3. The sanctuary area is also monitored by drones and binoculars from 02 watch towers and 04 monitoring stations.
4. Effective patrolling is also done by motor boats deployed at 04 places in Chambal river.
5. In the year 2021 about 130 monitoring /awareness committees have been formed with the help of Gram Pradhan in the villages located in Sanctuary. Regular meetings are held by the regional staff after visiting the villages to make the villagers aware. In the meetings, along with human-wildlife conflict, villagers are also made aware to discourage sand mining in Chambal river, importance of wildlife in the river to protect their habitat and for using M-sand (manufactured sand) etc. as an alternative.
6. Awareness program is held every year in the Centre of Nandgawa (Agra) under Sanctuary by Forest Department N.G.O.-T.S.A. (Turtle Survival Alliance) Madras Crocodile Bank Trust and B.N.H.S. for about 5000 villagers, students, tourists etc. from time to time.



7. For having effective control over illegal mining and transportation of Sand of Chambal in sanctuary on Link Road and by establishing co-ordination with the Police Department at the main roads, the police personnel as well as the staff of the Forest Department are deployed at the check-posts of the Police Department in shifts as per the requirement.
8. Co-operation of working Madras Crocodile Bank Trust, T.S.A., W.I.I. and B.N.H.S., which are functional in the sanctuary is also sought for the protection of the ghariyals, crocodiles, turtles and dolphins etc and their habitats also.
9. Fishing of fish is strictly prohibited in Chambal Sanctuary. No fishing lease is provided. Effective containment has been imposed through patrolling on regular basis.
10. There is no regular and organized illegal mining of Sand of Chambal anywhere in the Chambal river within the jurisdiction of Uttar Pradesh. Effective preventive and legal action is being taken immediately as per the rules in connection with the incidents of sporadic illegal mining committed by

MB

the villagers of the village situated on the banks of river Chambal. The details of the actions taken in connection with the sporadic illegal sand mining in the last 03 years are as follows-

| SER. NO. | YEARS | REGISTERED FIR NO. IN FOREST | DESCRIPTION OF PROCEEDINGS |
|----------|---------|------------------------------|---|
| 1 | 2019-20 | 27 (FIR also in 03) | Compensation of Rs 5,86,000.00 was received in 16 forest offence cases. In 11 cases, charge sheet was filed in the Court. The cases have been pending in Hon'ble Court. |
| 2 | 2020-21 | 32 (FIR also in 03) | Compensation of Rs 5,98,700.00 was received in 26 forest crime cases. In 06 cases, chargesheet was filed in the Court. The cases have been pending in Hon'ble Court. |
| 3 | 2021-22 | 10 | In 08 forest crime cases, compensation of Rs 1,08,500.00 was received. In 02 cases, chargesheet was filed in the Court. The cases have been pending in Hon'ble Court. |
| 4 | 2022-23 | 04 | Chargesheet have been filed in the Hon'ble Court. |

D- Details related to protection of alligators, crocodiles, turtles and Dolphins

1. Ghariyals are mainly found in Chambal river and Gerua river (Katarniaghat) in Uttar Pradesh.

MR

2. Captive breeding program was started by U.P. Forest Department in the year 1976 for the safety and breeding of the Ghariyal, which had reached on the verge of extinction.
3. Under Captive Breeding Programme, 02 Rearing Stations were established at Kukrel, Lucknow and Katarniaghat, where rearing of eggs of Ghariyals collected from Chambal and Gerua rivers was done. The Ghariyals born out of the eggs were released again in Chambal, Gerua and other rivers. Till the year 2008, Ghariyals babies were released in the Chambal river under Captive Breeding Program. After the year 2008, the ghariyal babies from Kukral were not released in Chambal river. At that time, 642 Ghariyals, 107 Crocodiles and 52 Dolphins were found in Chambal river. After the year 2008, regeneration of Ghariyals and other aquatic animals is taking place only through natural regeneration in the Chambal river on its sandy banks. Due to continuous effective protection of the sandy banks of Chambal river, number of these aquatic creatures has increased.

20/11

4. For the past years, the nest of ghariyals, crocodiles, turtles on sand banks and the nest of rare Indian skimmer bird species on the sandy islands between the water stream of the Chambal river is protected during regular patrolling, due to which large number of their babies/hatchlings enter Chambal river every year. The following are the details of the protected nests and their hatchlings during last 03 years

| YEARS | GHARIYALS | | CROCODILES | | TORTOISE | | INDIAN SKIMMERS | |
|-------|-----------|--------|------------|--------|----------|--------|-----------------|--------|
| | NESTS | BABIES | NESTS | BABIES | NESTS | BABIES | NESTS | BABIES |
| 2020 | 109 | 3170 | 22 | 880 | 946 | 20812 | 104 | 337 |
| 2021 | 135 | 4062 | 23 | 903 | 958 | 21076 | 106 | 348 |
| 2022 | 137 | 4372 | 22 | 889 | 963 | 21186 | 109 | 360 |

Along with the above, 640 Ghariyals eggs were provided to Kukrel Ghariyals Rehabilitation Center in the year 2019 and 700 Ghariyals eggs were made available in the year 2021 from the banks of Chambal, from which the hatchlings will be released in other rivers of the State.

5. Due to natural reasons, the survival percentage of hatchlings/babies of ghariyals, crocodiles and turtles is extremely low. According to experts working in this



field, the survival rate of ghariyals and crocodiles has been estimated at 2 to 5 percent and that of turtles at 6 to 7 percent.

6. As a result of effective prevention of illegal mining of sand from Chambal river and hunting of fishes, the number of ghariyals, crocodiles and dolphins found in Chambal river has increased during past years. The census is done every year by the Forest Department. The details of the last three years are as follows -

| YEARS | GHARIYALS | CROCODILES | DOLPHINS |
|-------|-----------|------------|----------|
| 2020 | 1860 | 586 | 129 |
| 2021 | 1872 | 594 | 146 |
| 2022 | 1887 | 608 | 151 |

Sand of Chambal excavated from Madhya Pradesh and Rajasthan is not transported through the border/ jurisdiction of Chambal Sanctuary, Uttar Pradesh. Action to restrain transportation of excavated sand from Madhya Pradesh and Rajasthan to Uttar Pradesh is done jointly by Mining

Handwritten signature

Department, Police Department and Revenue Department, the details of which are as follows-

ACTION TAKEN BY MINING DEPARTMENT

Brief details of the action taken by Director, Directorate of Mineral and Mining, U.P. Lucknow was informed through the letter No. 1972 /M.-Vad- N.G.T.-Vad/2023 dated 29-03-2023 (Annexure-1), of which details in brief are as follows-

1. No mining lease/clearance has been approved by Mining Department in Chambal Sanctuary.
2. For effecting continuous monitoring of illegal mining/transportation in Agra and Etawah, a special task force has been formed under the chairmanship of Additional District Magistrate, in which Forest Department, Mining Department, Officers of Revenue Department, Transport Department and Police Department are included.
3. From the point of view of mining and transportation in the above mentioned districts, the sensitive areas and routes are continuously monitored by the task force.



4. For checking the vehicles coming towards border of Uttar Pradesh while transporting minerals from Madhya Pradesh at village Udi of Etawah district and minerals coming from Rajasthan to the border of Uttar Pradesh at Saiyan Toll Plaza and at Sarendhi of Agra district check gates with Artificial Intelligence (AI/IoT) have been set up.
5. Details of action taken after checking in districts Agra and Ettawa are as follow:-

| SER. NO. | NAME OF DISTRICT | NUMBER OF MINERAL LADEN VEHICLES CHECKED | NUMBER OF NOTICES ISSUED WITH RESPECT TO NUMBER OF VEHICLES CHECKED | CASES IN WHICH FINE IS IMPOSED |
|-------------|------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 |
| 1 | Ettawa | 39313 | 1194 | 1152 |
| 2 | Agra | 21220 | 1182 | 550 |
| Grand total | | 60533 | 2376 | 1700 |

| AMOUNT REALISED AFTER FINE BEING IMPOSED (IN LAKHS OF RUPEES) | FIR REGISTERED UNDER SECTIONS OF MINING ACT AND I.P.C. | NUMBER OF ACCUSED IN REGISTERED CASES OF FIR | CASES REGISTERED UNDER GANGSTERS ACT | NUMBER OF ACCUSED ARRESTED |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 494.83 | 7 | 24 | 2 | 7 |
| 264.6 | 146 | 269 | 1 | 86 |
| 759.43 | 153 | 293 | 3 | 93 |

Ettawa

6. Illegal property worth Rs 4.21 crore was confiscated after taking action under the Gangster Act.
7. In compliance of the order dated 06/02/2023 passed by the Hon'ble N.G.T., the District Magistrate, Agra and the District Magistrate, Etawah have been directed through the Directorate's letter dated 04/03/2023 to form a joint investigation team under the chairmanship of the Additional District Magistrate for effecting surprise checking of the aforementioned areas. According to the reports received from Agra and Etawah, no illegal mining has been found in the said area.

ACTION TAKEN BY POLICE DEPARTMENT

Details of the action taken by the police Department in districts Agra, Etawah and Jhansi were intimated through letter No. DG-Seven-S-14(2)/2017 dated 18-03-2023 (Annexure-2) of the Director General of Police, U.P. and Director, Directorate of Mineral and Mining, U.P., Khanij Bhawan, Lucknow vide letter No. 1885/M case-N.G.T.-Case/2023 dated 17-03-2023 (Annexure-3).

Handwritten signature

A-DISTRICT AGRA

In district Agra, the report of the actions taken by Commissioner of Police, Commissionerate, Agra vide letter No. CP-01/2023 (Mining) dated 17/03/2023 (Annexure-4) is jointly signed by Commissioner of Police, Agra and District Magistrate, Agra. In paragraphs 02, 03, 04, 05 and 06 of the report, the details of the legal actions taken to stop illegal mining and transit are not being mentioned here for the sake of avoiding repetition of data/information, because the information provided by the Mining Department (paragraphs 05 and 06) is inclusive of details of the legal proceedings (FIR, amount of fine etc.) initiated in districts Agra and Etawah. Other details are as follows:-

- 1- No illegal mining has been found in Chambal Sanctuary in district/Commissionerate Agra jurisdiction. After checking the vehicles transporting sand etc., if irregularities and illegalities are found, then the case is being registered immediately and legal action is being taken against them while seizing the vehicles

30/03/23

through process of confiscation. In addition to the above, the amount of mitigation/compounding fee is being recovered from the seized vehicles.

2- Two checking gates were installed at Saiyyan and Sarendhi to prevent illegal transportation of minerals to district Agra, which has been operational since the date 01-07-2022.

3- In compliance with the order dated 06-02-2023 of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 248/2022 In Re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal", by the District Magistrate Agra, the team was constituted as follows for the purpose of preventing illegal mining and ensuring continuous monitoring of the area in Chambal Sanctuary between Agra and Etawah districts etc. and details of which are as follows:-

- | | |
|--|----------|
| 1. Additional District Magistrate City / Officer-in-Charge, Minerals, Agra- | Chairman |
| 2. Forest Officer-in-Charge, Agra | Member |
| 3. Senior Mining Officer, Agra | Member |
| 4. Assistant Regional Transport Officer, Agra | Member |

5. Subdivisional Magistrate of concerned Member
tehsil, Agra
6. Assistant Commissioner of Police of Member
concerned area -Tehsil, Agra

4- Besides above, a joint meeting was held by District Administration, Police Department, Forest Department, Mining Department and Transport Department officers of U.P, M.P. and Rajasthan at Deori Centre, district Moraina, (M.P.) on 17/03/2023 at 5.00 PM, in which an effective joint action plan for prevention of illegal mining was chalked out and a strategy was laid down.

5- The Chambal river flows through the limits of police stations Jaitpur, Khedarathor, Basauni, Pinahat and Mansukhpura of Agra Commissionerate. Strict compliance is being ensured in accordance with the guidelines and instructions given by the government and higher officials for prevention of mining. Regular checking is being done at the police stations adjacent to the bordering States of Agra Commissionerate.

Along with checking, patrolling is being done by setting up barrier check posts at 22 places of traffic

EDM

from the bordering States of Agra Commissionerate, Madhya Pradesh and Rajasthan.

- 6- CCTVs have been installed at main routes going towards Chambal river, ghats and other strategically important places. Installation of more CCTVs and surveillance by Drones are proposed.
7. The Chambal river flows in 11 kms of police station Jaitpur, 15 kms of police station Basoni, 03 kms of police station Samharathor, 03 kms of police station Pinahat and 12 kms of police station Mansukhpura of Commissionerate/District Agra. Patrolling is being done for having regular surveillance on the border.
8. Police patrolling, along with picket, UP-112 PRV operated simultaneously has also been deployed in the area for checking and monitoring at major routes.
9. Along with modern training, modern weapons, bullet proof jackets etc. are also being provided to the police force for taking effective action against anarchic elements etc. and coordination is being held with bordering districts of neighbouring States through surveillance and social media and after collecting data and action is being taken as per rules

EWS

10- Strict instructions have been issued to the Additional Commissioner of Police, Additional District Magistrate, Deputy Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police, concerned Magistrate and concerned mining departments, so that no illegal mining work could be done in the Commissionerate/district Agra. Strict compliance of the guidelines is being ensured in accordance with the intention of the government

B- DISTRICT ETAWAH

The report received through the letter No. 726 / Mineral Assistant / 2022-23 dated 17-03-2023 of District Magistrate Etawah (Mining Section) is jointly signed by District Magistrate Etawah and Senior Superintendent of Police, Etawah (Annexure-5). The details-data/information about the legal actions taken to prevent illegal mining and transportation as mentioned in paragraphs 02, 04 and 05 of the report are not being mentioned here to avoid repetition, because the information provided by the Mining Department (paragraphs 05 and 06), details of legal proceedings (FIR, amount of

ESW

finer etc.) taken in Agra and Etawah districts have been included. Other details are as follows-

1. In compliance of the letter number 1831/M.-N.G.T.-case/2023 dated 04-03-2023 of Director, Directorate of Mineral Mining, U.P. Lucknow, the team was constituted as follows through the letter number 723/Mineral Assistant/2022-23 dated 15-03-2023 of the office of District Magistrate, Etawah (Mineral Section) is:-

- | | |
|--|----------|
| 1- Additional District Magistrate (F./R.) Officer-in-Charge, Mineral Etawah | Chairman |
| 2- Subdivisional magistrate of concerned Tehsil, Etawah | Member |
| 3- Deputy Superintendent of Police of concerned Tehsil, Etawah | Member |
| 4- Assistant Regional Transport Officer, Etawah | Member |
| 5- Sub Divisional Officer (Forest) Etawah | Member |
| 6- Mining Officer, Etawah | Member |

The constituted team jointly surveyed the entire area of 80 kms of Chambal river in district Etawah.

No mining was found in the Chambal region, however, to check any possibility of illegal mining,

EWO

the administration is continuously and vigilantly keeping surveillance.

2. For the purpose of having effective control and continuously monitoring transportation, a task force has been constituted of departments of Revenue Police, Transport, Commercial Tax, Mining etc.
3. Although the constituted task force is keeping a constant vigil on illegal mining /transportation while action being taken for checking, yet the following resources are needed to establish complete control over illegal mining transport-

- 1- Arrangement of shed for the checking team of police/administrative officials at the entrance of borders of Uttar Pradesh/Madhya Pradesh.

- 2- Arrangement of super speed motor boat for patrolling in Chambal river.

- 3-Arrangement of three vehicles (one for the concerned police station and two vehicles for the task force).

- 4- Arrangement for high sensor camera.

- 5- Two drone cameras - for aerial surveillance.

ZMS

C- DISTRICT JHANSI

According to the District Magistrate, Jhansi's letter No. 1797/ 30M.M.C./ 2022-23 dated 18-03-2023, which is jointly signed by the Senior Superintendent of Police, Jhansi and the District Magistrate, Jhansi (Annexure-6):-

It has to be informed in connection with aforesaid that the Chambal river or any of its tributaries(Tributary River) does not flow within the boundary of the district-Jhansi. Besides aforesaid, it also has to be informed that no part of Keoladeo National Park, Dhaulpur (Rajasthan) or National Chambal Sanctuary is situated adjacent to the border of Jhansi district.

Therefore, for the sake of effective prevention of illegal mining, transportation and hunting etc. in the National Chambal Sanctuary, the details of actions taken by forest department, mining department, police department and revenue department within the jurisdiction of Uttar Pradesh and for preventing transportation of sand excavated from Madhya Pradesh and Rajasthan to Uttar Pradesh, the details of the action taken are compiled as above and sent for necessary action.

Attachments as above.



(Ghanshyam Mishra)

Special Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh.

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या: 1922 / एम०-वाद-एन०जी०टी०-वाद / 2023

दिनांक 29- मार्च, 2023

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-248/2022 In re:
News item published in the Hindu dated 27.03.2022 "Digging up the Chambal" में पारित
आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०
संख्या-248/2022 In re: News item published in the Hindu dated 27.03.2022 "Digging up the
Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय
राष्ट्रीय हरित अधिरण के पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म
विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही
का विवरण पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विपिन कुमार जैन)
अपर निदेशक।

संख्या: / एम०-वाद-एन०जी०टी० / 2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।



(विपिन कुमार जैन)
अपर निदेशक।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-248/2022 in re: News item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06-02-2023 के के अनुपालन में राष्ट्रीय चम्बल सँचुरी, उ०प्र०, में चम्बल बालू के अवैध खनन व अभिवहन पर रोकथाम हेतु खनन विभाग, द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गयी कार्यवाही का विवरण-

खनन विभाग

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1555/एम० वाद-एन०जी०टी०-वाद/2023 दिनांक 23-1-2023 एवं 1879/एम० वाद-एन०जी०टी०-वाद/2023 दिनांक 16-03-2023 (संलग्नक-1) द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है-

1. चम्बल सेन्चुरी में खनन विभाग द्वारा कोई भी खनन परिहार स्वीकृत नहीं किया गया है।
2. आगरा एवं इटावा में अवैध खनन/परिवहन की सतत निगरानी हेतु अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है, जिसमें वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं।
3. कार्यबल द्वारा उपरोक्त जनपदों में खनन एवं परिवहन के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों तथा मार्गों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।
4. मध्य प्रदेश से उपखनिज लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले वाहनों की जाँच हेतु जनपद इटावा के ग्राम उदी में तथा राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में उपखनिज लेकर आने वाले वाहनों की जाँच हेतु जनपद आगरा के सैया टोल प्लाजा के पास व सरैधी में AI/IoT (आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्स युक्त) चेक गेट्स स्थापित किये गये हैं।
5. जनपद आगरा एवं इटावा में जांचोपरान्त कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० सं० | जनपद का नाम | जांच किये गये उपखनिजों लदे वाहनों की संख्या | जांच किये गये वाहनों के साफ़ेस निर्गत गोटिस की संख्या | शासित वसूली के प्रकारण | वसूल की गयी शासित की धनराशि (रु० लाख में) | खनन अधिनियम एवं आई०पी०सी० की धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत एफ०आई०आर० | पंजीकृत एफ०आई०आर० में अभियुक्तों की संख्या | गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग | गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की संख्या |
|----------|-------------|---|---|------------------------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | इटावा | 39313 | 1194 | 1152 | 494.83 | 7 | 24 | 2 | 7 |
| 2. | आगरा | 21220 | 1182 | 550 | 204.6 | 146 | 269 | 1 | 86 |
| | कुल योग | 60533 | 2376 | 1700 | 759.43 | 153 | 293 | 3 | 93 |

6. गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर 4.21 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध सम्पत्ति का जब्तिकरण किया गया है।
7. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 04.03.2023 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा एवं जिलाधिकारी, इटावा को अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त जाँच दल गठित कर, उक्त क्षेत्रों के औचिक निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। आगरा एवं इटावा से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन होते नहीं पाया गया है।

Handwritten signature

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, पथन कला, लखनऊ-2, योगतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्र संख्या:डीजी-लात-एस-14(2)/2017

दिनांक: मार्च 18, 2023

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सचिव,
गृह(गोपन) अनुभाग-3,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चन्दल अभ्यारण,
आगरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या:-248/2022 In re: News item published in the Hindu dt.27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उप सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र सं०:421/2023-सीएक्स-3 दिनांक 16.03.2023(छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में गृह विभाग से सम्बन्धित विन्दुओं पर वांछित कार्य योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. संदर्भित प्रकरण में वांछित कार्ययोजना/कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या एवं प्रस्तावित कार्ययोजना जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त, आगरा एवं जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा/झांसी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त की गयी, जिसकी छायाप्रति संलग्नकर सादर प्रेषित है।
संलग्नक:यथोपरि।

(किरीट राठौड़)

पुलिस अधीक्षक (अपराध),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र० को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

EDW

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

दिनांक: 17 मार्च, 2023

संख्या: 885/एम०-वाद्-एन०जी०टी०-वाद्/2023

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-248/2022 in re: news item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-616/86-2018 दिनांक 20.03.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल गठित है जिसमें जिलाधिकारी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा खान अधिकारी शामिल हैं। गठित कार्यबल द्वारा अवैध खनन/परिवहन पर निरन्तर निगरानी रखते हुए कार्यवाही की जा रही है।

ओ०ए० संख्या-248/2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-153/एम०-एन०जी०टी०-वाद्/2023 दिनांक 04 मार्च, 2023 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा एवं इटावा को पूर्व में गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के अतिरिक्त विशेष कार्यबल का गठन कर दोनों जनपदों में चम्बल के सम्पूर्ण 165 कि०मी० क्षेत्र के निरीक्षण तथा अवैध खनन एवं परिवहन पर सतत निगरानी एवं कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में जनपद आगरा एवं इटावा से विशेष कार्यबल द्वारा कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या प्राप्त हुयी है, जिसके अनुसार चम्बल सेन्चुरी में आच्छादित क्षेत्र में कहीं भी खनन होते नहीं पाया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा एवं इटावा से अवैध परिवहन के विरुद्ध की गयी कार्यवाही सम्बन्धी आख्या पृथक से प्रेषित की गयी है।

अतः जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त आख्या की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।

संख्या: —/एम०-वाद्-एन०जी०टी०-वाद्/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि: सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।



कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेंट आगरा।

मार्च 17, 2023

पत्र संख्या: सीपी-01/2023(खनन)

सेवा में,

सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:—भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-248/2022 In re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या: एन.जी.टी. -66/01-7-2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु-7 दिनांक 06.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-248/2022 In re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से क्या एवं किस प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित है के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर कार्ययोजना एवं उपरोक्त सम्बन्ध में कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-248/2022 In re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन में विन्दुवार कृत कार्यवाही की आख्या एवं कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है—

1. जनपद/कमिश्नरेंट आगरा के घम्यल सैन्युरी क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध खनन होना प्रकाश में नहीं आया है। सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की ओर से खनन कर परिवहन कर लाये जा रहे चालू आदि के वाहनों की धैविंग कराकर अनियमितता एवं अवैध पाये जाने पर उनके विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकरण कर वैधानिक कार्यवाही करायी जा रही है एवं पकड़े गये वाहनों को सीज करते हुए उनकी जप्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त सीज वाहनों से शमनशुल्क की धनराशि वसूल किया जा रहा है।

(Handwritten signature)

2. एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के क्रम में जनपद आगरा में एन0जी0टी0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से रू0 2,20,00,000/- धनराशि जमा करायी गई है। इस वित्तीय वर्ष में एन0जी0टी0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से रू0 1,08,00,000/- धनराशि जमा करायी गयी है।

3. जनपद आगरा में खनिज अवैध परिवहन पर रोकथाम हेतु दो चैक पोस्ट सैया एवं सरैवी पर लगाये गये हैं, जो दिनांक 01.07.2022 से कियाशील है तथा जिनके माध्यम से अब तक कुल 1142 चालान किये गये हैं तथा कुल 189 वाहन स्वाभियों से रू0 80,27,350/- धनराशि जमा करायी गयी है।

4. जनपद आगरा में दिनांक 20.02.2023 तक निर्धारित लक्ष्य 1000 लाख रू0 के विरुद्ध 5061.18 लाख (281 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।

5. जनपद आगरा में वर्ष 2022-23 में 543 अवैध परिवहन के प्रकरणों में रू0 262.18 लाख शास्ति की वसूली की गई है। वर्ष 2021-22 में 538 अवैध परिवहन के प्रकरणों से रू0 214.46 लाख की वसूली की गयी थी।

6. वर्ष-2022 से वर्ष-2023 में दिनांक 16.03.2023 तक पुलिस एवं प्रशासन के विभागीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशों के क्रम में चलाये गये/चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण :-

| | | |
|---|---|-----|
| पंजीकृत अभियोगों का विवरण | - | 140 |
| उक्त प्रकरणों में सीज किये गये वाहन | - | 128 |
| नामजद अभियुक्तों की संख्या | - | 132 |
| प्रकाश में आये अभियुक्तों की संख्या | - | 121 |
| कुल अभियुक्तों की संख्या | - | 253 |
| गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या | - | 86 |
| हाईकोर्ट स्टे/अग्रिम जनानत | - | 59 |
| हाजिर अभियुक्तों की संख्या | - | 59 |
| धारा 82 की कार्यवाही | - | 13 |
| एन0वी0डब्लू0 | - | 38 |
| गिरफ्तारी हेतु शोध अभियुक्तों की संख्या | - | 49 |
| अभियोगों में आरोप पत्र की संख्या | - | 83 |
| उक्त में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग | - | 02 |
| उक्त में पंजीकृत गैंगस्टर में अभियुक्त | - | 08 |
| प्रचलित गैंगस्टर | - | 05 |

7. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-248/2022 In re: News item published in The Hindu dated 27-03-2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा द्वारा जनपद आगरा एच इटावा के मध्य चम्बल

संचुरी में अवैध खनन की रोकथाम एवं क्षेत्र को सतत निगरानी आदि के उद्देश्य से गिनानुसार टीम का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

| | |
|---|---------|
| 1. अपर जिलाधिकारी नगर/प्रभारी अधिकारी खनिज आगरा- | अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी वनाधिकारी, आगरा | - सदस्य |
| 3. ज्येष्ठ खान अधिकारी, आगरा | - सदस्य |
| 4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा | - सदस्य |
| 5. उपजिलाधिकारी सख्यन्धित तहसील, आगरा | - सदस्य |
| 6. सहायक पुलिस आयुक्त सम्बन्धित क्षेत्र तहसील, आगरा | - सदस्य |

8. उक्त के अतिरिक्त देवरी गणना, जनपद गुरेना में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग के साथ आज दिनांक 17.03.2023 को समय 5:00 सांघ बैठक की गयी है, जिसमें अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर रणनीति तय की गयी।

9. कमिश्नरेट आगरा के थाना जीतपुर, खेडाराठौर, बारासौनी, पिनाहट व मनसुखपुरा की सीमा में चम्बल नदी बहती है। शासन एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा खनन की रोकथाम हेतु दिये गये दिशा निर्देश एवं मार्ग दर्शन के अनुरूप कच्चाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कमिश्नरेट आगरा के सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए थानों पर नियमित चैकिंग करायी जा रही है। जनपद/कमिश्नरेट के सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश एवं राजस्थान से आवागमन वाले 22 स्थानों पर बैरियर/चैक पोस्ट बनाकर चैकिंग के साथ-साथ पैट्रोलिंग करायी जा रही है।

10. प्रमुख मार्गों जो चम्बल नदी से होकर जा रहे हैं, उनके घाटों आदि प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराये गये हैं तथा कई स्थानों पर क्रैमर एवं ड्रोन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कराया जाना प्रस्तावित है।

11. कमिश्नरेट/जनपद आगरा के थाना जीतपुर की 11 कि०मी०, थाना बारासौनी की 15 कि०मी०, थाना खेडाराठौर की 03 कि०मी०, थाना पिनाहट की 03 कि०मी० एवं थाना मनसुखपुरा की 12 कि०मी० में चम्बल नदी बहती है। सीमा पर नियमित निगरानी हेतु गरत पैट्रोलिंग की जा रही है।

12. क्षेत्र में पुलिस पैट्रोलिंग, विकेट के साथ-साथ संचालित यूपी-112 पीआरवी को भी प्रमुख मार्गों पर चैकिंग एवं निगरानी हेतु लगाया गया है।

13. अराजक तत्वों आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस बल को आधुनिक ट्रेनिंग के साथ-साथ अत्याधुनिक शस्त्र, बुलट प्रूफ जैकेट आदि भी उपलब्ध करायी जा रही है तथा सर्विलांस एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जनपदों से सम्बन्ध स्थापित कर सूचनाएं संग्रहित कर गिनानुसार कार्यवाही की जा रही है।

Emo

14. कमिश्नर/जनपद आगरा में विरही भी प्रकार अवैध खनन का कार्य न हो सके इस हेतु अपर पुलिस आयुक्त, अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्तगण, सहायक पुलिस आयुक्त, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित खनन आदि विभागों को कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन की मंशानुरूप दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जा रहा है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।


जिलाधिकारी
आगरा।


पुलिस आयुक्त
आगरा

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलसमु चरिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
 2. उप सचिव गृह गोपन अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
 3. निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिज भवन लखनऊ।
 4. पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
 5. पुलिस अधीक्षक(अपराध), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 6. पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था उ०प्र० लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जनपद इटावा में प्रवाहित चम्बल नदी के जनपद इटावा गरी ओर के सम्पूर्ण भाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

माननीय हरित न्यायाधीकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-240/2022 In re; News Item Published in the Hindu, Dated-27.03.2022 titled "Digging UP the Chambal" में पारित आदेश दिनांक-06.02.2023 के अनुपालन के साक्षात् में विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक-17.03.2023 को पूर्वाह्न-09:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा उचित के क्रम में कृत कार्यवाही संबंधी संयुक्त आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर आगत कराना है कि माननीय हरित न्यायाधीकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-240/2022 In re; News Item Published in the Hindu, Dated-27.03.2022 titled "Digging UP the Chambal" में पारित आदेश दिनांक-06.02.2023 के अनुपालन में विन्दुवार कृत कार्यवाही की आख्या एवं कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1831/एम०-एन०जी०टी०-याद/2023 दिनांक-04.03.2023 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी इटावा (खनिज अनुभाग) के पत्र संख्या 723/खनिज सहायक/2022-23 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा निम्नानुसार टीम का गठन किया गया है-

| | |
|---|-----------|
| 1- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) प्रगारी अधिकारी, खनिज इटावा | - अध्यक्ष |
| 2- उपजिलाधिकारी, सम्यन्धित तहसील, इटावा | - सदस्य |
| 3- पुलिस उपाधीक्षक सम्यन्धित तहसील, इटावा | - सदस्य |
| 4- सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, इटावा | - सदस्य |
| 5- उप खण्ड अधिकारी (वन) इटावा | - सदस्य |
| 6- खान अधिकारी, इटावा | - सदस्य |

गठित टीम ने जनपद इटावा के अन्तर्गत चम्बल नदी के 80 कि०मी० के सम्पूर्ण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। संयुक्त निरीक्षण में चम्बल क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन होना नहीं पाया गया तथापि संभावित अवैध खनन के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा सतत एवं सतर्क निगरानी की जा रही है।

2. अन्तरराष्ट्रीय उपखनिजों के परिवहन पर जनपद इटावा के पत्ती में शासन के निर्देशानुसार चेकगेट स्थापित किया गया है, जो दिनांक 01.09.2021 से क्रियाशील है। चेकगेट की स्थापना से अब तक चेक गेट के माध्यम से उपखनिज का परिवहन करने वाले लगभग 59870 वाहनों को चेक किया गया। अवैध परिवहन करने वाले 2405 वाहनों के विरुद्ध नोटिस जारी कर रुपये 10,49,47,852/- धनराशि की शास्ति अधिरोपित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चेक गेट द्वारा लगभग 30000 वाहनों को चेक किया, जिसमें 1131 वाहनों पर नोटिस जारी कर रुपये 4,61,5,294/- धनराशि की शास्ति अधिरोपित किया गया है।
3. अवैध परिवहन पर प्रगावी अंकुश एवं सतत निगरानी के उद्देश्य से राजस्व, पुलिस, परिवहन, वाणिज्यकार, खनन आदि विभागों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक अवैध परिवहन करने वाले कुल 1087 प्रसारणों से रुपये 4,66,74,740/- धनराशि की शास्ति वसूली गयी है। वर्ष 2022 व 2023 में अब तक खनन के सम्बन्ध में कुल 07 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। (विवरण संलग्न)

2023

निम्नपद इटावा में दिनांक 28.02.2023 तक निर्धारित लक्ष्य 1100 लाख रु0 के विरुद्ध 2730 लाख (अतिशत) की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।
यादपि गठित टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन/परिवहन पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है फिर भी अवैध खनन/परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु निम्नांकित संसाधनों की आवश्यकता है।

- 1-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश की सीमा के प्रवेश द्वार पर पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की चेकिंग टीम के लिए शेल की व्यवस्था।
- 2-चम्बल नदी में गस्त के लिए सुपर स्पीड मोटर बोट की व्यवस्था।
- 3-तीन वाहन (एक सम्बन्धित थाना व दो वाहन टास्क फोर्स के लिए) की व्यवस्था।
- 4-हाई सेंसर कौमरा की व्यवस्था।
- 5-दो ड्रोन कौमरा-हवाई निगरानी के लिए।


(संजय कुमार)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।


(अवनीश राय)
जिलाधिकारी, इटावा।

कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।
(खनिज अनुभाग)


संख्या- 72-6/खनिज सहायक/2022-23

दिनांक: 17.03.2023

प्रतिलिपि--निम्नलिखित गणोदय को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1.सचिवा भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2.अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3.निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, अप्रो, खनिज भवन लखनऊ।

20/3


(जय प्रकाश)
अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०),
इटावा।

प्रेषक: जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।

सेवा में: अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक-1797/30प्र०शास०सी०/2022-23

दिनांक: 14/03/2023

विषय:- ओ०ए० संख्या-248/2022 in re: News items published in the Hindu dated 27.03.2023 with "Digging up the Chambal" के मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.02.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-एन.जी.टी.-103(2)/81-7-2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 16.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का आदेश करते हुए जिले के द्वारा विषयगत प्रकरण में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2023 को सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक होने की सूचना दी गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रगत वरना है कि प्रमत्त नदी अथवा उसकी कोई भी सहायक नदी (Tributary River) जगपद-झाँसी की परिधीन क्षेत्रों में अवस्थित नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अग्रगत करता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोलपुर (राजस्थान) अथवा राष्ट्रीय धर्मल अभ्यारण्य का कोई भी भाग जगपद-झाँसी की सीमा से सटा हुआ नहीं है।

दिनांक 17.03.2023 को बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा विषयगत प्रकरण से सम्बन्धी कार्ययोजना/कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या एवं प्रस्तावित कार्ययोजना प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

अतः विषयगत प्रकरण में जगपद-झाँसी से सम्बन्धित बांछित कार्ययोजना/आख्या उक्त पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

भवदीय

(राजेश एस)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
झाँसी।

(सुनिन्द कुमार)
जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांक:
प्रतिरिपि:-

- निम्नलिखित को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 2. सचिव, भूसाध एवं अभिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 3. पुलिस अधीक्षक (कानून-व्यवस्था), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 4. पुलिस अधीक्षक (अपराध), उ०प्र० शासन, लखनऊ।

भवदीय

भवदीय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु कार्य योजना

1. खनन परिहार स्वीकृति की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान करना - खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त खनन क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें यथाशीघ्र खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2. तहसील स्तरीय व जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन - अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु तहसील स्तरीय व जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन किया गया है जो नियमित रूप से क्रियाशील है। प्रवर्तन दल में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
3. GEO CO-ORDINATES एवं सैटेलाइट फोन का प्रयोग - खनन पट्टा क्षेत्र को इंगित करने वाले सीमा बिन्दुओं का GEO Co-ordinates (Latitude-Longitude) सीमांकन मानचित्र पर प्रदर्शित कर KML (Keyhole Markup Language) Files on Google Earth तैयार किया गया है। सैटेलाइट फोन से KML का प्रयोग कर किसी भी वैध खनन क्षेत्र के Location को सरलता से नॉक पर सीमांकित करने के पश्चात् अवैध खनन को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
4. CCTV कैमरा - 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले पट्टा क्षेत्रों में 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य 04 CCTV Camera एवं एक चेकपोस्ट का निर्माण कराया जाता है। चेकपोस्ट पर RFID स्कैनर रखा जाता है जिससे खनन पट्टा क्षेत्र से खनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सामान्य जिलाधिकारी नियंत्रित किये गये प्रपत्र ई-एम0एफ0 11 पर अंकित वारकोड को स्कैन कर डाटा पढ़ा जाता है।

मुख्य कार्य निरीक्षक
नाम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
नाम

EW

(2)

5. WEIGH BRIDGE6. माईन-टैग7. ई-चेक गेट

:- खनिजों का परिवहन करने हेतु प्रपत्र ई-एम.एन. 11 जेनरेट करने हेतु प्रत्येक वाहन को Weigh Bridge से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक Weigh Bridge नूतन एवं खनिकर्म निदेशालय, ज०प्र०, लखनऊ के मुख्य कमाण्ड सेंटर से integrated है जिससे ऑनलाइन पर प्रभावी नियंत्रण रहता है।

:- खनिजों का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन पर माईन-टैग लगाकर अनिवार्य कर दिया गया है। माईन-टैग के बिना किसी भी वाहन से खनिजों का परिवहन करने हेतु अनिवार्य प्रपत्र ई-एम.एन. 11 जेनरेट नहीं किया जा सकता है।

:- जनपद में खनिजों के परिवहन से सम्बन्धित प्रत्येक मुख्य सड़क मार्ग पर ई-चेकगेट लगाया गया है जो नूतन एवं खनिकर्म निदेशालय, ज०प्र०, लखनऊ के मुख्य कमाण्ड सेंटर से integrated है। प्रपत्र ई-एम.एन. 11 के बिना ई-चेकगेट से खनिजों का परिवहन किये जाने पर ई-चेकगेट द्वारा वाहन का नम्बर प्लेट अथवा माईन-टैग को READ कर सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरुद्ध ई-चालान का नोटिस जारी किया जाता है। ई-चालान का नोटिस जारी होते ही नोटिस में इंगित धनराशि ऑनलाइन जमा किये जाने तक सम्बन्धित वाहन से खनिजों का पुनः परिवहन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र ई-एम.एन. 11 का जेनरेशन स्वतः अवरुद्ध हो जाता है।

ज्येष्ठ आन अधिकारी
आईसी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
आईसी

जिलाधिकारी
आईसी

एम

(9)

8. ड्रोन कैमरा द्वारा निगरानी9. M-CHECK INSTRUMENT का प्रयोग10. पट्टाधारक से वित्तीय आश्वासन की धनराशि जमा कराया जाना

दूरस्थ क्षेत्रों में रात्रि के समय अवैध खनन की शिवायता पाये जाने पर निदेशालय स्तर से Drone Camera के माध्यम से निगरानी की जाती है।

खनिजों के परिवहन की जांच करने हेतु प्रवर्तन दल को दल M-CHECK INSTRUMENT उपलब्ध कराया गया है जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के मुख्य कम्प्यूट सेंटर से Integrated है। प्रपत्र ई-एन०एन० 11 के बिना खनिजों का परिवहन करने के दौरान वाहन चालक द्वारा खनिज प्रवर्तन दल के आने की आसक्ति से खनिज वाहन को छोड़कर भाग जाने की दशा में प्रवर्तन दल द्वारा M-CHECK INSTRUMENT के माध्यम से वाहन के नम्बर प्लेट अथवा माईन टैग को READ कर सम्बन्धित वाहन स्थानी के विरुद्ध ई-चालान का नोटिस जारी किया जाता है। ई-चालान का नोटिस जारी होते ही नोटिस में इंगित धनराशि ऑनलाईन जमा किये जाने तक सम्बन्धित वाहन से खनिजों का मुन-परिवहन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र ई-एन०एन० 11 का जनरेशन स्वतः अवरुद्ध हो जाता है।

भूमि उद्धार एवं पुनर्वासन के प्रयोजन के लिए वित्तीय आश्वासन के रूप में पट्टाधारक से स्वस्थाने चट्टान (Rock In-situ) किस की खान के लिए ₹० 25,000.00 प्रति एकड़ तथा बालू/मैरम के खान के लिए ₹० 15,000.00 प्रति एकड़ की दर से सम्बन्धित पट्टाधारक से वित्तीय आश्वासन की धनराशि (जो ₹० 2,00,000.00 से कम न हो) जमा कराया जाता है।


जिलाधिकारी
दोसी


जिलाधिकारी
दोसी


जिलाधिकारी
दोसी



संलग्नक-01

अवैध खनन/परिवहन के मामलों में किये गये प्रवर्तन कार्य

चतुर्मासिक लाय रुपये में

प्रगति माह-फरवरी, 2023

| क्र. सं. | अवैध खनन के प्रकरणों की संख्या | | अवैध परिवहन के प्रकरणों की संख्या | | शास्ति/वर्तिपूर्ति धनराशि | | दर्ज एफओआइआर की संख्या | | दर्ज परिवाद की संख्या | | निरस्त पट्टों की संख्या | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 91 | 103 | 480 | 574 | 193.44 | 227.89 | 31 | 37 | 86 | 99 | 02 | 03 |

| क्र.सं. | अवैध पट्टों की संख्या | | | | प्रारंभ राजस्व | |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | बालू/गिरान | | गिट्टी/बोल्डर | | वर्ष 2021-22 (माह तक) | वर्ष 2022-23 (माह तक) |
| | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 09 | 18 | 63 | 102 | 22572.00 | 23938.00 |


 उपनिरीक्षक
 डी.पी.ओ.


 उपनिरीक्षक
 डी.पी.ओ.


 जिलाधिकारी
 डी.पी.ओ.

26

पुलिस द्वारा दिनांक 01.01.2022 से 28.02.2023 तक खनन एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों का विवरण:-

| जनपद | अवधि | खनन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग | अभियुक्तों की संख्या | पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण | | | | | | | | | | निरोधालय कार्यवाही | | | | वर्तमान स्थिति | | | |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------------|--|--------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|-------|-----|------|
| | | | | गिरफ्तारी | घोषणा | मृत/मारे गये | कुर्बानियाँ | निम्न गिरफ्तारवाला(41+1020410) | युद्ध योग्य कार्यवाही | कार्यवाही हेतु शेष | एनएएसए | नेगरेटर अरिओ | नेगरेटर अरिओ के अन्तर्गत अद्वैत सम्पत्ति की जब्त/करण | | युद्धा एक्ट | राज्य निरोधालय | खोली गयी डिस्ट्रीक्ट | जेल | जमानत | मृत | फरार |
| | | | | | | | | | | | | | प्रकरण | मूल्य | | | | | | | |
| प्रांसी | दि 01.01.22 से 31.12.22 तक | 34 | 37 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| | दि 01.01.23 से 28.02.23 तक | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |

अवधि खनन से सम्बन्धित दिनांक: 01.01.2022 से दिनांक: 28.02.2023 तक कुल 37 अभियोग पंजीकृत कर संलिप्त कुल 45 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। अद्वैत खनन की रोकथाम हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं धाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई प्रकरण संज्ञान में आने अथवा चेकिंग आदि के दौरान पाये जाने पर उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/ वरिष्ठ खान सर्वेक्षक से समन्वय स्थापित कर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक एवं कठोर निरोधालय कार्यवाही की जाय।

ज्येष्ठ जिला अधिकारी

ज्येष्ठ जिला अधिकारी

जिलाधिकारी
प्रांसी

(4)

11. EC (ENVIRONMENTAL CLEARANCE) की शर्तों का अनुपालन कराया जाना :- पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र (EC) में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

12. प्रत्येक खनन क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की वार्षिक मात्रा का निर्धारण :- खनन परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की वार्षिक मात्रा का निर्धारण किया जाता है। ओ.ए.ए. संख्या-140 व 141 वर्ष 2021 में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 06.05.2022 के अनुपालन में Central Mine Planning and Design Institute, Uti, Ranchi (CMPDI) के माध्यम से प्रतिवर्ष प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून के दौरान नदी तल स्थित बालू/मोरम के प्रत्येक खनन क्षेत्र में बालू का पुनर्पूर्ति अध्ययन (Sand replenishment study) किया जा रहा है।

13. अवैध खनन को रोकने हेतु पुलिस विभाग की कार्यवाही

— जनपद झांसी के थाना समथर से मध्यप्रदेश के जनपद भिण्ड की सीमा पर जनपद भिण्ड के थाना दबोह पुलिस व थाना समथर जनपद झांसी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बाड़ी बॉर्म कैम्प/अध्यापुनिक हथियारों से सुसज्जित होकर पर्याप्त पुलिस बल के साथ 24 घण्टे बैरियर लगाकर वाहनों की नियमित चेकिंग को जा रही एवं मध्यप्रदेश के जनपद दतिया, टीकमगढ़, शिवपुरी, गिवाडी, छतरपुर एवं भिण्ड की सीमा से जनपद झांसी की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की 40 स्थानों पर बैरियर लगाकर पर्याप्त पुलिस बल के साथ नियमित चेकिंग को जा रही है तथा जनपद स्तर व तहसील स्तर पर डी टास्क फोर्स द्वारा सतत-समय पर उक्त स्थानों पर सघन चेकिंग की जाती है और थाना पुलिस एवं प्रवर्तन दल द्वारा स्थानीय समुदायों से सम्पर्क कर उन्हें अवैध खनन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करते हुये अवैध खनन कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

ज्येष्ठ चार्ज अधिकारी
झांसी

प्रतिष्ठ पुलिस प्रदीक्षक
झांसी

अलाधिकारी
झांसी

राम

जनपद-झाँसी में अवैध खनन व परिवहन को रोकने हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

1. Inter-State communication, co-ordination and co-operation प्राप्त किया जाना:-

MOPD के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास नदी तल पर उपलब्ध बालू/गौरन के क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने हेतु अन्तरराज्यीय प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करने हेतु नियमित अन्तराल पर अन्तरराज्यीय प्रशासनिक पुलिस व खनन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों को बैठक आयोजित किया जाना।

2. Deployment of adequate force with provision for reserve force:-

जनपद में अवैध खनन को रोकने तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निमित्त प्रयत्न दल को समुचित एवं अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करने हेतु विशेष पुलिस दल का गठन किया जायेगा।


3. रात्रि के समय सन्नाहित अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए Night Vision Drones का प्रयोग:-

जिला एनिमल इन्स्पेक्शन न्याय निधि से Night Vision Drones खरीद लिए जायेंगे जिसके दुरुस्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रि के समय सन्नाहित अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी की जायेगी।


ज्योति सिंह
झाँसी


अनिल कुमार
झाँसी


जिलाधिकारी
झाँसी


ERD